ग्राम पंचायत चमनेड़ , विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश - 177029 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि: 01.04.2015 से 31.03.2018

1 प्रस्तावना:-

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत चमनेड़, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया I

(क) अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत, चमनेड़ में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्र॰ सं	नाम	अवधि
1	श्री कमल पठानिया	22-01-2011 से लगातार

सचिव:

क्र॰ सं	नाम	अवधि
1	श्री जगदेव शर्मा	07.02.2008 से 13.12.2016
2	श्री वनीत कुमार	14.12.2016 से 10.05.2018
3	श्री सतीश कुमार	11.05.2018 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत चमनेड़, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के लेखाओं अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹)
1	7	अनुदान का उपयोग न करना।	21.41

2	8	पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष राशि।	0.18
3	11	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना।	2.23
4	12	क्रय की गई सामग्री का भण्डार रजिस्टरों में इन्द्राज न करना।	1.05

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:–

ग्राम पंचायत चमनेड़, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री श्रीराम सुनील, अनुभाग अधिकारी तथा श्री विद्यासागर, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 13-08-2018 से 20-08-2018 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

अवधि	आय	व्यय
2015-16	12/2015	10/2015
2016-17	02/2017	01/2017
2017-18	03/2018	03/2018

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है I उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत चमनेड़ , विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि **01.04.2015** से **31.03.2018** तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से **"निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009"**को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:FIN/LAD/HMR/2018-49 दिनांक 20/08/2018 के अन्तर्गत अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को पंजाब नेशनल बैंक के बैंक ड्राफ्ट संख्या: 113829 दिनांक 29-08-2018 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गयाI

4 वितीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत चमनेड़, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/15 से 31/03/18 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी: -

(1) स्वस्त्रौत:

ग्राम पंचायत चमनेड़, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/15 से 31/03/18 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण: -

वर्ष	अथशेष ₹	प्राप्ति ₹	योग ₹	व्यय ₹	अन्तिम शेष ₹
2015-16	299819.89	114937	414756.89	3273.3	411483.59
2016-17	411483.59	84386.27	495869.86	38495.47	457374.39
2017-18	457374.39	111928	569302.39	127823.75	441478.64

(2) अनुदान:

ग्राम पंचायत चमनेड़, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/15 से 31/03/18 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है:-

वर्ष	अथ शेष ₹	प्राप्ति ₹	योग ₹	व्यय ₹	अन्तिम शेष ₹
2015-16	951532.50	2688102.00	3639634.5	3063959.65	575674.85
2016-17	575674.85	3870185.00	4445859.85	2664277.17	1781582.68
2017-18	1781582.68	4292241.25	6073823.93	3932589	2141235.33

3 दिनांक 31.03.2018 को ग्राम पंचायत चमनेड़ के बैंक खातों में अन्तिम शेषों का विवरण:

क्रम संख्या	बैंक	शीर्ष	बैंक खाता संख्या:	राशि ₹
1	PNB Lambloo	GCB- A	17210001 00049900	441368.64
2	PNB Lambloo	GCB-B/ MPLad	172100010 0040860 1721000102935614	196935.32
3	PNB Lambloo	SBM	172100 0102935508	354481.47
4	PNB Lambloo	14th	17210 00102922480	1348937.02
5	PNB Lambloo	VKVNY	172100010 2935560	200196.12
6	PNB Lambloo	SDP	172100010 2935550	39570.4

7	PNB Lambloo	RAY	17210 00102935580	1115
8	TOTAL BALANCE			**2582603.97**
9	CASH IN HAND			110
G.TOTAL				2582713.97

5 बैंक समाधान विवरणी:-

स्व स्त्रौतः	दिनांक 31.03.2018 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष	₹441478.64
अनुदानः	दिनांक 31.03.2018 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष	₹2141235.33
स्व स्त्रौत एवं अनुदान की रोकड़ वहियों में दिनांक 31.03.2018 को अन्तिम शेष:		₹ 2582713.97
दिनांक 31.03.2018 को बैंक खातों में अन्तिम शेष:		**₹2582603.97**
दिनांक 31.03.2018 को हस्तगत राशि :		**₹110.00**
कुल योग:		**₹2582713.97**
अन्तर की राशि:		**0**

5.2 रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना:-

ग्राम पंचायत, चमनेड़ की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5.3 रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जायेगा l यह खाता पंचायत निधि खाता-क के रूप में जाना जायेगा l इसी तरह, नियम-3 में सहिंता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां हेतु पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता-ख जाना जायेगाl परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए तीन रोकड़ बही व सात पास बुक ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई हैं। इसके अतिरिक्त रोकड़ बहियों में की गईं प्रविष्टियों में बहुत ज्यादा कटिंग व ओवर राइटिंग की गई थी जोकि पंचायती राज बित्त नियम 7(1) के अनुसार उचित नहीं है l अंकेक्षण अधियाचना संख्या :49-A दिनांक 20-08-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसके सन्दर्भ में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 25-08-2018 को पत्र संख्या: 21 के माध्यम से उत्तर दिया गया कि “खाता “क” व खाता “ख” के लिए एक ही रोकड़ बही का प्रयोग किया गया है जिसे शीघ्र ही हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार

खाता “क” के लिए पृथक व खाता “ख” के लिए पृथक रोकड़ बही का निर्माण कर लिया जाएगा”। अतः भविष्य में भी उक्त नियम के अनुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए I

5.4 निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखना :-

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार हस्तगत राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था।

जोकि { वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है I अंकेक्षण अधियाचना संख्या :49- A दिनांक 20-08-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसके सन्दर्भ में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 25-08-2018 को पत्र संख्या: 21 के माध्यम से उत्तर दिया गया कि “ भविष्य में हस्तगत शेष को नियमानुसार ही रखा जा रहा है” जोकि प्रस्तुत अभिलेखानुसार नहीं है। अत: नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए ।

क्रम संख्या	**अवधि**	**हस्तगत राशि**	**रोकड़ बही पेज**
1	29.05.2015 से 30.07.2015	2838	2 से 6
2	01-08-2015 से 15-09-2015	2918	7 से 10
3	19-09-2015 से 28-10-2015	3131	10 से 13

6 निवेश:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियो में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में अधिक मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :49-A दिनांक 20-08-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसके सन्दर्भ में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 25-08-2018 को पत्र संख्या: 21 के माध्यम से उत्तर दिया गया कि “ भविष्य में उक्त नियम की पूर्ण अनुपालना की जाएगी।“ अत: भविष्य में नियमानुसार एवं लिखित आश्वासनानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7 अनुदान ₹21 . 41 लाख का उपयोग न करना:–

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31-03-18 तक अनुदान **₹2141235** उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था I अंकेक्षण अधियाचना संख्या :49-A

दिनांक 20-08-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसके सन्दर्भ में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 25-08-2018 को पत्र संख्या: 21 के माध्यम से उत्तर दिया गया कि "दिनांक 31-03-2018 तक की शेष अनुदान राशि को शीघ्र ही संबन्धित योजना पर खर्च कर दिया जाएगा।" अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान की राशि का व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा इस राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

8 पंचायत राजस्व ₹0 . 18 लाख वसूली हेतु शेष:-

अंकेक्षण में पंचायत की स्व: स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31/03/18 को मोबाइल टावर शुल्क व गृहकर के रूप में वसूली हेतु ₹18,120 (₹17,500 + ₹620) शेष थी जोकि आपत्तिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :49-A दिनांक 20-08-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसके सन्दर्भ में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 25-08-2018 को पत्र संख्या: 21 के माध्यम से उत्तर दिया गया कि "पंचायत राजस्व ₹18,120 की वसूली शीघ्र ही कर ली जाएगी।" अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करने के अतिरिक्त भविष्य में नियमित तौर से पंचायत राजस्व की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(1) मोबाइल टावर शुल्क

वर्ष	अथशेष (₹)	मांग (₹)	योग(₹)	प्राप्ति(₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2015-16	0.00	7500	7500	5000	2500
2016-17	2500	7500	10000	0	10000
2017-18	10000	7500	17500	0	17500

2 गृह कर

वर्ष	अथशेष (₹)	मांग (₹)	योग(₹)	प्राप्ति(₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2015-16	0	11520	11520	11520	0
2016-17	0	12000	12000	11980	20
2017-18	20	30750	30770	30150	620

9 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके

ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :49-A दिनांक 20-08-18 द्वारा सचिव,ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतुव अनुरोध किया गया जिसके सन्दर्भ में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 25-08-2018 को पत्र संख्या: 21 के माध्यम से उत्तर दिया गया कि " भविष्य में बजट प्राक्कलन हि० प्र० पंचायती राज नियम, 2002 के नियम 37 फार्म-11 के अनुसार ही तैयार किया जाएगा जिसे आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा।" अतः भविष्य में नियमानुसार एवं लिखित आश्वासनानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

10 हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के अनुसार भुगतान आदेश संबंधी नियम 49(1)(2) के प्रावधानों का अनुपालन न करना : –

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नही किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। और कुछ बिलों को केबल पंचायत प्रधान के हस्ताक्षरों से ही पारित किया गया है न कि उपरोक्त नियमानुसार प्रधान तथा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से पारित किया गया था। यह एक गंभीर अनियमितता है। इस बारे में अंकेक्षण अधियाचना संख्या :49-A दिनांक 20-08-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतुव अनुरोध किया गया जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 25-08-2018 को पत्र संख्या: 21 के माध्यम से उत्तर दिया गया कि "हि० प्र० पंचायती राज नियम, 2002 के नियम 49(1)(2) के अनुसार सभी बिल वाउचर पर प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से नियमानुसार भुगतान आदेश पारित करना शुरू कर दिया गया है तथा भविष्य में भी इन सभी नियमों व प्रावधानों का पालन किया जाएगा।" अत: अंकेक्षण अवधि के दौरान नियमानुसार अदायगी आदेश रिकार्ड किए बिना किए गए सभी संदायों/भुगतानों हेतु सभी बिल/वाउचरों पर नियमानुसार संयुक्त रूप में भुगतान आदेश रिकार्ड किये जाएँ तथा भविष्य में भी नियमानुसार अदायगी आदेश रिकार्ड करने के उपरांत ही कोई भी संदाय/भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए।

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹2.23 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5), 69 एवं 70 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है। निम्नविवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹2,22,931 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है I अंकेक्षण अधियाचना संख्या :49-A दिनांक 20-08-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 25-08-2018 को पत्र संख्या: 21 के माध्यम से उत्तर दिया गया कि "सामग्री जोकि बिना कुटेशन / निविदा के क्रय की गई थी, को ग्राम सभा में अनुमोदन करवा लिया जाएगा तथा भविष्य में ``1000 से अधिक राशि की सामग्री को निविदाएँ आमंत्रित करने के उपरांत ही क्रय किया जाएगा।" अतः स्टॉक /स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम नियमानुसार न करने के कारणों को

स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए :–

क्रम संख्या	वा० संख्या , दिनांक	रोकड़ बही पृष्ट संख्या	विवरण	राशि
1	62/ 03-10-2015	14th एफ़सी-22	लाल ईंटें व ढुलाई	7800
2	37/ 05-10-2015	MPLAD-12	गलेज 12 पल्ले 5*5.5 व लेबर	10240
3	38/ 05-10-2015	यथोपरि	CP 40 LTR, ACE 20 LTR इत्यादि	11415
4	39/ 05-10-2015	यथोपरि	बीआईएलएल नं० 72 दिनांक 01-09-2015	5700
5	84/ 23-01-2017 86/ 23-01-2017	जीसीबी-A-44	ए-4पेपर व अन्य लेखन सामग्री	2540 3120
6	92/ 23-01-2017	SBM-44	7000 लाल ईंटें	40600
7	94/ 23-01-2017	SBM-44	सरिया	24480
8	95/ 23-01-2017	SBM-45	सामान चढ़ाई ब उतराई	3040
9	98/ 23-01-2017	SBM-45	सामान ढुलाई	9025
10	170/ 20.03.2018	90	फोटो स्टेट, पेपर रिम इत्यादि	1160
11	172/ 20.03.2018 173/ 20.03.2018	एसबीएम-90	सरिया	12996 4652
12	175/ 20.03.2018	VKVNY	सरिया	25700
13	92/ 10-03-18	14th FC CBP-45	14 लोहे के चैम्बर	5600
14	93/ 10-03-18	यथोपरि	शौचालय फिटिंग सामग्री	34223
15	94/ 10-03-18	यथोपरि	शौचालय के दरबाजे	4200
16	95/ 11-03-18	CBP-1	शौचालय फिटिंग सामग्री	6070
17	96/ 11-03-18	यथोपरि	पीवीसी पाइपें	10370
	योग			**222931**

12 क्रय की गई ₹1.05 लाख की सामग्री का भण्डार रजिस्टरों में इन्द्राज न करना :–

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69 से 72 (1)(ए,बी,सी,व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 ,व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है l परन्तु पंचायत के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 तक के चयनित मासों के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार ₹1,04,759 की सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था l जाँच के दौरान यह भी बताया गया कि छोटी राशि की मदों को स्टॉक में नहीं लिया जाता है। मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने के कारण उनके उपयोग की जाँच नहीं हो सकी। इन मदों के दुर्विनियोजन/दुरूपयोग से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है।

क्रम संख्या	वाउचर संख्या / दिनांक/ कैश बुक पेज	फर्म का नाम/ बिल नं०/ दिनांक	क्रय की गई सामग्री का संक्षिप्त विवरण	राशि (₹)
1	38/ 05-10-2015 / MPLAD-12	मै०शर्मा ग्लास हाउस बिल नं० 358 दिनांक 30-09-2015	CP 40 LTR, ACE 20 LTR इत्यादि	11415
2	46/ 23-10-2015/ एनबीए-13	मै० अमनदीप शर्मा बिल नं० 693 दिनांक 09-07-2015	$3M^3$ SAND PLANT, $3M^3$ बजरी	8250
3	48 से 56/ 28-10-15 / NBA-13	मै० धीमान फ़ोटोस्टेट,पुष्प फ़ोटोस्टेट,चौहान ट्रेडर्ज बिल नं०722,257,370,400,284,709,293,297 व 130 Dt.06-12-14,05-12-14,22-01-2015,14-05-2015,30-06-15,15-07-15,16-07-15,26 व 27-08-2015	कार्यवाही रजिस्टर, फ़ोटोस्टेट, बर्थ-डेथ प्रमाणपत्र इत्यादि।	2460
4	84 व 86/ 23-01-17 / GCB-A 44	वाउचर के अनुसार	A4 पेपर रिम, OFFICE/RESOLUTION PAD इत्यादि	2540 3120
5	87/ 23-01-17 / GCB-A 44	वाउचर के अनुसार बिल नं० 36 दिनांक 01-11-16	अखबार माह 05/16 से 10/16	600
		बिल नं० 80 दिनांक 01-01-17	अखबार माह 11/16 से 12/16	262
6	93/ 23-01-17 / GCB-A 44	मै० महावीर स्टोन क्रशर बिल नं० 193,194 दिनांक 19-12-16, 01-01-17	निर्माण सामग्री	25650
7	94/ 23-01-17 / GCB-A 44	मै० श्री शनि देव ट्रेडर्ज बिल नं० 2065 दिनांक 24-12-16	सरिया 10MM,8एमएम व तार	24480
8	95/ 23-01-17 / GCB-A 45		सीमेंट 130 बैग	33969
9	170/ 20-03-18/ CBP-90	मै० राजेंदर जनरल स्टोर बिल नं० 46 दिनांक 28-02-18	कार्यालय व्यय फ़ोटोस्टेट, पेपर रिम इत्यादि	1160
10	172,173/ 20-03-18/ CBP-90	मै० विशाल ट्रेडिंग कं० टेक्स इन्वाइस नं० 1136 व 1137 दिनांक 17-01-18	8एमएम सरिया, तार	17648
11	174/ 20-03-18/ CBP-90	मै० शिवम हार्डवेयर स्टोर बिल नं० 137 दिनांक 12-01-18	PVC पाइप 2” 44 FOOT	990
			योग	**104759**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या :49-A दिनांक 20-08-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 25-08-2018 को पत्र संख्या: 21 के माध्यम से उत्तर दिया गया कि “खरीदी गई सामग्री को जोकि संबन्धित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं की गई है उसे स्टॉक रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाएगा तथा इस व्यय को ग्राम सभा में अनुमोदित करवा लिया जाएगा।“ अत: इस बारे में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए l

13 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹200 की कम वसूली:-

सयुंक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या: PCH-HA(1) 8/2013-Marriage 8017-8106 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण शुल्क ₹200 (बी.पी.एल.परिवार ₹25) एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण शुल्क ₹400/- (बी.पी.एल.परिवार ₹50) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है। अंकेक्षण में पाया कि निम्नविवरणानुसार ₹200 का विवाह पंजीकरण शुल्क वसूल नहीं किया गया था जोकि आपत्तिजनक है जिसका औचित्य स्पष्ट करें तथा इस राशि को अब नियमानुसार उचित स्त्रोत से वसूल करके पंचायत की निधि खाते में जमा करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रमांक संख्या:	**विवाह पंजीकरण क्रमांक संख्या:**	**शादी की दिनांक**	**पंजीकरणकी दिनांक**	**पंजीकरण राशि (₹)**	**वसूली गई राशि**	**शेष राशि**
1	52/2016	08/11/16	17/11/16	200	0	200
वसूली योग्य राशि				**200**	**0**	**200**

14 प्राप्त अनुदान के लिए रसीदें जारी न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 5(1 से 3) के अनुसार पंचायत को किसी भी स्त्रोत अथवा तरीके से प्राप्त आय / अनुदान के लिए इन नियमों में दिए गये प्रारूप -3 में रसीद जारी करनी आवश्यक है| परन्तु ग्राम पंचायत के लेखाओं की जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों विशेषकर आर० टी० जी० एस०/ ऑनलाइन बैंक प्राप्तियों के लिए किसी भी प्रकार की रसीद जारी नहीं की गई है| इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए।

15 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना:-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं| चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता | इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है|

16 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :49-A दिनांक

20-08-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा 25-08-2018 को उत्तर दिया गया कि "हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 तथा हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य)नियम, 1997 के नियम 34 के अनुसार रजिस्टरों का संधारण कर लिया जायेगा l अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	**रजिस्टर का प्रकार/विवरण**	**प्रारूप**	**सन्दर्भित नियम**
1	रसीद बहियों का स्टाक रजिस्टर 4 13 (5)		
2	बिजली, पानी, टेलीफोन व समाचार पत्र बिल रजिस्टर		
3	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर 10 33		,77 (4)
4	बजट प्राक्कलन 11 , 12		37, 38
5	अनुपभोज्य मदों का स्टाक रजिस्टर	25 72 (1)	
6	लेखन सामग्री से भिन्न उपभोज्य मदों का स्टाक रजिस्टर	26 72 (1)	ख
7	मुद्रित सामग्री का स्टाक रजिस्टर 27 72(1)(		ग)
8	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर 31 95 (1)		
9.	अनुदान रजिस्टर हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997	8 34	
10	यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर।		
11	गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना।		
12	बिल प्राप्ति का रजिस्टर 13 48		
13.	मस्ट्रोल निर्गम, स्टॉक रजिस्टरों का अपूर्ण रख-रखाव		
14	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर 101(2)(		v)
15	वर्गीकृत सार 8		29 (4)

17 विविध अनियमितताएं :-

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही l अंकेक्षण अधियाचना संख्या :49-A दिनांक 20-08-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्तिथि स्पष्ट करने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 25-08-2018 को पत्र संख्या: 21 के माध्यम से उत्तर दिया गया कि "भविष्य में हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के प्रावधानों के अनुसार ही समितियों का गठन किया जाएगा।" अत: उक्त नियम की अनुपालना हेतु आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

18 मापन पुस्तिकाओं का रख-रखाव व सत्यापन नियमानुसार न करना :-

संकर्मों के निष्पादन हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम प्रावधानों के अनुसार समय-2 पर निर्धारित मानकों अनुसार परीक्षण जांच संचालित करने एवं सकर्मों के निरीक्षण और परीक्षण जांच की अवस्था का प्रावधान है, ग्राम पंचायत में संकर्मो हेतु प्रयुक्त मापन पुस्तिकाओं का रख-रखाव एवं सत्यापन नियमानुसार नहीं किया जा रहा है यद्यपि ये तकनीकी सहायकों द्वारा लिखी गईं परन्तु मापन पुस्तिका में हि०प्र० पंचायती राज { वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम, 2002 के नियम 101,103(2),104(2)(i) व 105 की अनुपालना में किसी भी अधिकारी द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन नहीं किया गया, न ही test check संचालित किये गये और न ही संकर्मों के निरीक्षण की

अवस्था के समर्थन में कोई अभिलेख उपलब्ध करवाया गया। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :49-A दिनांक 20-08-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 25-08-2018 को पत्र संख्या: 21 के माध्यम से उत्तर दिया गया कि " भविष्य में हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम, 2002 के नियम 101 ,103(2),104(2)(i) व 105 के प्रावधानों के अनुसार ही मापन पुस्तिकाओं का रख-रखाव एवं सत्यापन करवाया जाएगा।" अत: उक्त नियमों की अनुपालना के अभाव में मूल्यांकन तथा भुगतानों का औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त नियमों की अनुपालना हेतु आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

19 ₹0 . 10 लाख या इससे अधिक के सभी भुगतान इ-बैंकिंग के माध्यम से करने बारे: -

₹10000 या इससे अधिक के सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से आरटीजीएस/एनईएफ़टी के माध्यम से किए जाने अपेक्षित हैं। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :49-A दिनांक 20-08-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्तिथि स्पष्ट करने / अपना पक्ष रखने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 25-08-2018 को पत्र संख्या: 21 के माध्यम से उत्तर दिया गया कि " पंचायत द्वारा वर्तमान में अधिकतर भुगतान ई-बैंकिंग RTGS के माध्यम से ही किये जा रहे हैं।" अत: इस संदर्भ में प्रधान सचिव (वित्त), वित्त (रेग्युलेशनज़) विभाग, हि० प्र० सरकार द्वारा पत्र संख्या फिन(सी)ए(3)-5/2004 दिनांक 23 अगस्त,2011 के तहत जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

20 मैंटेनेंस ऑफ अकाउंटस:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 6 के अनुसार पंचायत सचिव का यह सुनिश्चित करने का दायित्व होगा कि सभी व्यक्ति जो ग्राम पंचायत की ओर से धन प्राप्त करते हैं, ऐसी रीति से उचित लेखे बनाएँ और दें कि ब्यौरे साफ, स्पष्ट और स्वत: अंतर्विष्ट हों। यद्यपि कुछ हद तक अभिलेख की संबन्धित रजिस्टरों से क्रास रेफरेंशिग देखने को मिली। अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित आपतियों के मध्यनजर लेखे तथा समर्थित अभिलेख और सही ढंग से रखे जाने अपेक्षित हैं, चूंकि लेखों को समुचित ढंग से रखने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत अभिलेखों की स्थिति से वर्तमान पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या :49-A दिनांक 20-08-18 के माध्यम से इस बारे स्तिथि स्पष्ट करने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 25-08-2018 को पत्र संख्या: 21 के अन्तर्गत उत्तर दिया गया कि " भविष्य में हि० प्र० पंचायती राज (वित्त...) नियम, 2002 के नियम 6 के अनुसार लेखों का संधारण किया जाएगा l" अत: भविष्य में लेखे ऐसी रीति से बनाएँ और दें कि ब्यौरे साफ, स्पष्ट और स्वत: अंतर्विष्ट हों।

]

21 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के अन्तर्गत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में बिद्यमानता/ उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्तिथि का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :49-A दिनांक 20-08-18

द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा 25-08-2018 को उत्तर दिया गया कि “ नियमानुसार शीघ्र ही पंचायत के भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन करवा लिया जाएगा तथा भविष्य में प्रत्येक छः माह उपरांत नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाएगा।“ अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

22 लघु आपति विवरणिका:-

संस्था को लघु आपति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई अपितु लघु आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

23 निष्कर्ष:-

संस्था के लेखाओं के रख-रखाव में और सुधार एवं कड़ी निगरानी/अनुश्रवण(मोनिट्रिंग) की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)(15)(6)65/2018खण्ड–1–6845–6848 दिनांक 29.10.18
शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1 सचिव, ग्राम पंचायत चमनेड़, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर हि0प्र0।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046